कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।

संख्या 4-332 / 7—पं0 / स्व.भा.मि.(ग्रा.) / 2025—26 दिनांकः 20 सितम्बर, 2025

1—समस्त खण्ड विकास अधिकारी
2—समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जनपद—सुलतानपुर।

विषयः— ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के समय से खोले जाने तथा केयर टेकर के मानदेय के नियमित भुगतान के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक् प्रमुख सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1/1084537/2025 दिनांक 10.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालय समय से नहीं खोले जाते हैं, प्रायः सामुदायिक भवनों में ताला बन्द पाया जाता है। साथ ही यह भी शिकायतें प्राप्त हुई है कि सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर्स को मानदेय का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है।

2— पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक शौचालयों के रख—रखाव एवं संचालन की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1759/33—3—2020—31/2019 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के माध्यम से की गई है। उक्त शासनादेश में सामुदायिक शौचालयों के रख—रखाव का कार्य दायित्व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्य पर होने वाले पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम 02 किस्तों में (वर्ष के प्रथम माह व 6 माह बाद) स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराने का प्राविधान है। पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित समय पर धनराशि स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने के बाद भी केयरटेकर का भुगतान लम्बित रखा जाना आपत्ति जनक है।

3— शासन के संज्ञान में लाया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के गठन, संचालन एवं अनुश्रवण आदि का दायित्व ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

4— ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ—सफाई एवं रख—रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय तथा ग्राम पंचायत द्वारा उनके स्वयं सहायता समूह को ससमय भुगतान किया जाय तथा समूह द्वारा भुगतान प्राप्त होने के 01 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित केयरटेकर के खाते में उनका मानदेय हस्तान्तरित कर दिया जाय। अन्यथा की दशा में उस समूह को दोषी मानते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही किया जाय।

5— जनपद स्तर पर भी सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ—सफाई एवं रख—रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के ससमय भुगतान की समीक्षा जिला स्वच्छता समिति की बैठक में अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए जिला पंचायतराज अधिकारी एवं उपायुक्त (एन.आर.एल.एम.) इस तथ्य की पृथक—पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें कि ग्राम पंचायत द्वारा कितने समूहों का भुगतान किया जा चुका है और कहां—कहां भुगतान किया जाना अवशेष है तथा समूह द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित केयरटेकर्स का भुगतान किया गया है और कितने केयरटेकर्स का भुगतान अवशेष है ? उपायुक्त (एन.आर.एल.एम.) जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह द्वारा सामुदायिक शौचालय के समय से खुलवाने, साफ—सफाई एवं रख—रखाव में कमी पाए जाने पर आवश्यकतानुसार उसी स्वयं सहायता समूह के अन्य केयरटेकर का या किसी अन्य स्वयं सहायता समूह का चयन कर लिया जाय।

6— विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा भी सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से खुलवाने, उसकी साफ—सफाई एवं रख—रखाव की व्यवस्था, केयरटेकर्स की उपस्थिति एवं केयरटेकर्स के मानदेय के ससमय भुगतान का अनुश्रवण पाक्षिक समीक्षा बैठक में करेगें और यह सुनिश्चित करेंगें कि सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर के मानदेय का भुगतान नियमानुसार ससमय हो जाय। यदि कोई समूह या केयरटेकर कार्य नही करती है तो यह सचिव की जिम्मेदारी होगी कि उक्त के सम्बन्ध में लिखित रूप से उपायुक्त (एन.आर.एल.एम.) को अवगत करायेगें। यदि सचिव द्वारा लिखित रूप से अवगत नही कराने एवं सामुदायिक शौचालय बन्द पाए जाने की स्थिति में या केयरटेकर द्वारा कार्य न करने की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

7— ग्राम पंचायत द्वारा ससमय समूह को धनराशि हस्तान्तरित न करने पर ग्राम स्तर पर सचिव, ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगा एवं विकास खण्ड स्तर पर यह जिम्मेदारी आपकी होगी। समूह के केयरटेकर को भुगतान न होने की दशा में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व, उपायुक्त (एन. आर.एल.एम.) का होगा एवं उन दोनों परिस्थितियों में विलम्ब होने पर सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(अंकुर कौशिक)
मुख्य विकास अधिकारी,
सुलतानपुर।

पृष्ठांकन संख्या /7—पं0/स्व.भा.मि.(ग्रा.)/2025—26 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2— जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर।
3— उपायुक्त, (एन.आर.एल.एम.), सुलतानपुर।
4— उप निदेशक (पंचायत), अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5— समस्त ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान को अनुपालनार्थ।

मुख्य विकास अधिकारी,
सुलतानपुर।

File सामुदायिक शौचालय N.P.O.I.
Custodian ... Initial
पं0 मैट/लेखाकार